खबर संक्षेप

जन प्रतिनिधियो एवं अधिकारियों ने किया पौधरोपण

शहडोल। पौधे केवल पर्यावरण संरक्षण का माध्यम ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित एवं स्वस्थ भविष्य की अमूल्य धरोहर हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास के संकल्प को साकार करते हुए नगर पालिका परिषद शहडोल द्वारा अमृत हरित अभियान के अंतर्गत कोटमा ट्रेंचिंग ग्राउंड में 1000 पौधों का वृहद पौधरोपण किया गया। पौधरोपण में नगरपालिका अध्यक्ष घनश्याम जायसवाल, मुख्य नगरपालिका अधिकारी निशांत सिंह सहित अन्य लोगो ने सहभागिता निभाई। अभियान का उद्देश्य नगर में हरित क्षेत्र का विस्तार करना, पर्यावरण संतुलन को मजबूत बनाना तथा जनसहभागिता के माध्यम से वृक्षारोपण को जनआंदोलन का स्वरूप प्रदान करना है।

कानून का पालन हमारी प्राथमिकता, बेवजह न बिगाड़ें छविः पलाश

शहडोल। पर्यावरण सुरक्षा और नियमों के पालन का दंभ भरने वाली व्यवस्था में जब बिना तथ्यों के उंगलियां उठती हैं, तो सच को सामने आना ही पड़ता। पिछले कुछ दिनों से मैसर्स एम.पी. बायो मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ग्राम इटोर, तहसील पाली के खिलाफ जिस तरह भ्रामक, मनगढ़ंत और एकपक्षीय खबरों का बाजार गर्म किया गया है, उसने संस्थागत साख पर सवाल खड़े करने की नाकाम कोशिश की है। इन अफवाहों और भ्रामक रिपोर्टिंग पर अब कंपनी ने बेहद सख्त और धारदार रुख अपनाते हुए स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है। कंपनी प्रबंधन का स्पष्ट कहना है कि हवा में तीर चलाकर और बिना किसी जांच के आरोप मढ़ देने से सच्चाई नहीं बदल जाती। बायो-मेडिकल कचरे और इन्सिनरेटर की राख के निस्तारण को लेकर फैलाए जा रहे झूठ पर विराम लगाते हुए कंपनी ने साफ किया कि उनके खिलाफ किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई भी आरोप सिद्ध नहीं किया गया है। न ही ऐसा कोई अंतिम आदेश जारी हुआ है जो कंपनी को कटघरे में खड़ा करता हो। फिर आखिर किस आधार पर आधी-अधूरी और अतिरंजित खबरें परोसी जा रही हैं? सच तो यह है कि एम.पी. बायो मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम बायो-मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के हर छोटे-बड़े दिशा-निर्देश का कड़ाई से पालन कर रहा है। राख और अपशिष्ट के संग्रहण से लेकर उसके परिवहन तक की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है, जिसके पुख्ता दस्तावेज हर समय अधिकारियों की जांच के लिए उपलब्ध हैं।गंभीर बात यह है कि पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांतों को ताक पर रखकर, बिना कंपनी का पक्ष जाने और बिना किसी अधिकृत जांच के खबरें छाप दी गईं। क्या टीआरपी और सनसनी फैलाने के खेल में किसी संस्थान की वर्षों की मेहनत और प्रतिष्ठा को धूमिल करना इतना आसान हो गया है? कंपनी के प्रोपराइटर पलाश जैन ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि कंपनी नियामक संस्थाओं के साथ हमेशा सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन झूठी और मानहानिकारक खबरें फैलाने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। अगर छवि को नुकसान पहुंचाने की यह नीयत जारी रही, तो कंपनी अपनी साख की रक्षा के लिए संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ कड़े दीवानी और आपराधिक कानूनी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। जनता और मीडिया को सलाह है कि वे फैलाए जा रहे झूठ के मायाजाल से बचें और केवल प्रमाणित तथ्यों पर ही विश्वास करें।

व्यवसायी राकेश तिवारी का निधन

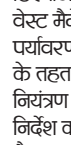

जयसिंहनगर। नगर के प्रतिष्ठित व्यावसायिक परिवार से जुड़े, जाने-माने इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायी एवं कुशल मैकेनिक राकेश तिवारी पिता स्व. रामप्रसन्न तिवारी का लंबी बीमारी के बाद असमय निधन हो गया। वे शिव शक्ति टाइल्स के संचालक राजेश तिवारी तथा पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष व समाजसेवी कमलेश तिवारी के अनुज थे। उनके असामयिक देवलोकगमन की खबर फैलते ही संपूर्ण क्षेत्र में गहरा शोक व्याप्त हो गया।अपनी सरलता, मिलनसार स्वभाव और कार्यकुशलता के बल पर राकेश तिवारी ने क्षेत्रवासियों के दिलों में एक खास जगह बनाई थी।

कोर्ट के स्टे पर भारी भू-माफिया का दांव

अनूपपुर में अदालती आदेश की धज्जियां

पुलिस और राजस्व की खामोशी पर उठे सवाल

शहडोल। अदालत से बड़ा कानून और कानून से बड़ी न्याय व्यवस्था... यह बात शायद सिर्फ किताबों में पढऩे और भाषणों में सुनने के लिए रह गई है। अनूपपुर जिले के सामतपुर क्षेत्र में चल रहा एक चर्चित जमीन विवाद इस बात की कड़वी गवाही दे रहा है कि जब खाकी और राजस्व अमला आंखें मूंद ले, तो सिविल कोर्ट के स्टे ऑर्डर (स्थगन आदेश) की हैसियत भी रद्दी के टुकड़े जैसी हो जाती है। जब स्थानीय अनूपपुर पुलिस ने फरियादी की गुहार पर केवल तकनीकी बहाने बनाकर पल्ला झाड़ लिया, तो बेबस पीड़ित को न्याय की उम्मीद में पुलिस महानिरीक्षक और कमिश्नर के दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ी।

यह है पूरा मामला

मामला सामतपुर स्थित आराजी खसरा क्रमांक 290/2/क/1 (रकबा 0.800 हेक्टेयर) का है, जो व्यवहार न्यायालय अनूपपुर के समक्ष (व्यवहार वाद क्रमांक 283ए/18) विचाराधीन है। इस जमीन की चौहद्दी जिसके उत्तर में चंदास नदी, पश्चिम में मयंक त्रिपाठी की भूमि और दक्षिण में डी.ई. ऑफिस विद्युत विभाग है, लेकिन न्यायालय ने 10 जनवरी 2019 को ही आदेश 39 नियम 1 व 2 के तहत स्पष्ट निषेधाज्ञा जारी की थी। आदेश में साफ़-साफ़ हिदायत थी कि रामावतार राठौर, लक्ष्मण राठौर, गणपत राठौर, जग्गी राठौर समेत अन्य विपक्षी प्रकरण के अंतिम निराकरण तक इस ज़मीन में कोई दखलंदाज़ी या कब्जा नहीं करेंगे। यह आदेश आज भी प्रभावी है।

कोर्ट के स्टे के बाद भी रजिस्ट्री

कानून और अदालत को ठेंगा दिखाते हुए आरोप है कि गणपत राठौर आदि ने उस प्रतिबंधित भूमि का कथित विक्रय पत्र ज्योतिनंदा पति जे.एल. नंदा के नाम निष्पादित कर दिया। हद तो तब हो गई जब ज्योतिनंदा के साथ दबंग मौके पर पहुंचकर जमीन पर कब्जा जमाने और खुलेआम विवाद करने लगे। जब पीड़ित सनत कुमार त्रिपाठी आत्मज एल.पी. त्रिपाठी अनूपपुर थाने पहुंचे, तो पुलिस ने यह खोखला तर्क देकर हाथ खड़े कर लिए कि तहसील कार्यालय से सीमांकन और तर्मीम हो चुका है। अब सवाल यह उठता है कि क्या तहसीलदार का कोई सीमांकन सिविल कोर्ट के निषेधाज्ञा से बड़ा हो सकता है? कानून का सीधा सिद्धांत है कि यदि स्टे लागू है, तो बिना सिविल कोर्ट की इजाजत के कराया गया कोई भी तर्मीम या सीमांकन स्वतः अवैध और शून्य होता है। फिर पुलिस इस गैर-कानूनी कार्रवाई के आधार पर दबंगों को खुली छूट क्यों दे रही है?

307 के खूनी इतिहास के बावजूद बेखबर खाकी!

यह कोई मामूली जमीन विवाद नहीं है, पीड़ित परिवार का आरोप है कि इसी जमीन के चक्कर में पूर्व में उसके पुत्र के साथ प्राणघातक हमला और गंभीर मारपीट की घटना हो चुकी है, जिस पर अनूपपुर थाने में ही भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत गंभीर अपराध दर्ज है। इतने खूनी इतिहास के बावजूद अगर अनूपपुर पुलिस स्थिति को हल्के में ले रही है और किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रही है, तो यह सीधे तौर पर प्रशासनिक नाकामी को दर्शाता है। क्या फिर किसी की बलि चढऩे के बाद ही पुलिस नींद से जागेगी।

उच्चाधिकारियों से लगाई न्याय की गुहार

स्थानीय स्तर पर सुनवाई न होने पर पीड़ित सनत कुमार त्रिपाठी ने 22 जुलाई 2026 को कमिश्नर में लिखित शिकायती आवेदन सौंपकर आईजी और कमिश्नर से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। पीड़ित ने मांग की है कि व्यवहार न्यायालय अनूपपुर के 10 जनवरी 2019 के स्थगन आदेश का अक्षरशः पालन कराया जाए। कोर्ट के आदेश की अवमानना कर अवैध कब्जे का प्रयास करने वाले गणपत राठौर, ज्योतिनंदा व अन्य के खिलाफ कठोर आपराधिक मामला दर्ज हो। मौके पर शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु पुलिस को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।

स्वच्छ और सुंदर शहडोल संभाग की ओर बड़ा कदम

शहडोल। संभाग को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में मॉडल बनाने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण पहल देखने को मिली। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग (मध्य प्रदेश शासन) के प्रायोजन तथा फीडबैक फाउंडेशन के सौजन्य से होटल सूर्य इंटरनेशनल में एक दिवसीय क्षमता वर्धन कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संभाग भर के नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षदों, मुख्य नगरपालिका अधिकारियों और कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।
कार्यशाला का मुख्य आकर्षण वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। संभागायुक्त श्रीमती सुरभि गुप्ता, कलेक्टर डॉ. केदार सिंह एवं जिला पंचायत सीईओ शिवम प्रजापति ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। अधिकारियों ने अपने प्रेरक उद्बोधन में कहा कि शहरों को स्वच्छ और टिकाऊ बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और आम जनता का त्रिवेणी संगम आवश्यक है।कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी पर्यावरण संबंधी दिशानिर्देशों से सभी हितधारकों को अवगत कराना था। विषय विशेषज्ञों ने सरल भाषा में डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन, गीले-सूखे कचरे के स्रोत स्तर पर पृथक्करण, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी के संचालन और सिंगल-यूज़ प्लास्टिक पर पूर्ण नियंत्रण के तकनीकी पहलुओं को समझाया।जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की व्यावहारिक चुनौतियों को साझा किया, जिन पर विशेषज्ञों ने समाधान बताए। सभी प्रतिभागियों ने संभाग के हर शहर को स्वच्छ, हरित और प्लास्टिक-मुक्त बनाने का सामूहिक संकल्प लिया। इस तरह के आयोजनों से निश्चित रूप से स्थानीय निकायों की कार्यशैली में नई ऊर्जा और दक्षता देखने को मिलेगी।

अमानक स्तर के खाद-बीज बेचने वालों के विरूद्ध करें सख्त कार्यवाही

शहडोल संभाग में प्राकृतिक खेती को करें प्रोत्साहितः कमिश्नर

शहडोल। कमिश्नर श्रीमती सुरभि गुप्ता ने संभाग में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के निर्देश कृषि विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। कमिश्नर ने कहा है कि शासन द्वारा प्राकृतिक खेती को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा इसके लिए योजनाएं संचालित कर रही है। इन सभी योजनाओं का लाभ प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों तक पहुंचाए। कमिश्नर ने उक्त निर्देश मंगलवार को गूगल मीट के माध्यम से आयोजित सामयिक विषयों की समीक्षा बैठक के दौरान संभाग के सभी कलेक्टर्स एवं विभागीय अधिकारियों को दिए।

कमिश्नर ने प्रधानमंत्री श्री अन्न योजना की प्रगति की जिलेवार समीक्षा करते हुए कहा कि शहडोल संभाग में कोदो, कुटकी, की खेती के लिए किसानों को सतत रूप से प्रोत्साहित करें। उन्होंने संभाग के सभी कलेक्टर्स को कोदो और कुटकी की खेती का रकवा बढ़ाने

के लिए किसानों को प्रेरित करने के निर्देश दिए। उन्होनें कहा कि शहडोल संभाग में कोदो कुटकी की उपज की मार्केटिंग के लिए सतत प्रयास किए जाएं। कमिश्नर ने गूगल मीट के माध्यम से मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना की प्रगति की जिलेवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि मत्स्य संपदा योजना का शहडोल संभाग के सभी जिलों में परिणाममूलक क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। कमिश्नर ने कहा कि शहडोल संभाग में मत्स्य पालक किसानों को फिष पार्लर खोलने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाए। समीक्षा के दौरान कमिश्नर ने शहडोल संभाग में केज कल्चर योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की भी जिलेवार जानकारी ली तथा कहा कि शहडोल संभाग में फिष पार्लर स्थापित करने के लिए सतत प्रयास किए जाएं। गूगल मीट में कमिश्नर ने संभाग के सभी जिलों में चालू खरीफ सीजन में खाद-बीज की उपलब्धता की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान कमिश्नर ने शहडोल संभाग के सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए कि चालू खरीफ सीजन के लिए किसानों को खाद-बीज सहजता से उपलब्ध हो इसकी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को उच्च गुणवत्ता का खाद-बीज मुहैया हो इसके लिए खाद-बीज बेचने वाले फर्मों की समय-समय पर जांच भी सुनिश्चित की जाए। कमिश्नर ने कहा कि प्राथमिकता के साथ किसानों को उच्च गुणवत्ता का खाद-बीज मुहैया कराना है। उन्होंने निर्देश दिए कि अमानक स्तर का खाद-बीज बेचने वालों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए।

गूगल मीट में कमिश्नर ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के प्रगति की जिले वार समीक्षा की । समीक्षा के दौरान कमिश्नर ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना शासन की प्राथमिकता वाली योजना है। उन्होनें सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना एवं कुसुम बी योजना का शहडोल संभाग मे प्रभावी एवं परिणाम मूलक क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। गूगल मीट में संभाग के तीनों जिलों के कलेक्टर्स, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

स्वस्थ, सुरक्षित एवं जागरूक समाज बनाने में विद्यार्थियों की अहम भूमिका

विद्यार्थियों ने नशामुक्त समाज के निर्माण हेतु लिया संकल्प

शहडोल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में प्रदेश भर में 15 जुलाई से 30 जुलाई 2026 तक समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान लगातार चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक संजय कुमार अग्रवाल के निर्देशन में जिले के विभिन्न थानांतर्गत नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान प्रगति पर है। नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत जिले में नुक्कड़ नाटक, पोस्टर, चैपाल इत्यादि जागरूकता कार्यक्रमो का आयोजन कर नशा मुक्ति का संदेश दिया जा रहा है। इसी अनुक्रम में नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत जिले में विद्यार्थियों द्वारा पेंटिंग, स्लोगन लेखन, कविता पाठ एवं नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों ने नशे के दुष्प्रभावों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते हुए समाज को नशामुक्त बनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए उन्हें नशे से दूर रहने, अपने परिवार एवं समाज को भी इसके प्रति जागरूक करने तथा स्वस्थ, सुरक्षित एवं उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में सहभागी बनने के लिए प्रेरित किया एवं उपस्थित विद्यार्थियों एवं नागरिकों से नशामुक्त समाज के निर्माण हेतु संकल्प भी दिलाया गया।

एन्टीवेनम की उपलब्धता सभी स्वास्थ्य केन्द्रों तक सुनिश्चित कराएं: कमिश्नर

मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सतत प्रयास करें अधिकारी

शहडोल। कमिश्नर श्रीमती सुरभि गुप्ता ने संभाग के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में एन्टीवेनम इंजेक्शन की समुचित मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ने कहा है कि सर्पदंश के प्रकरणों में पीड़ित व्यक्तियों को एन्टीवेनम के समुचित इंजेक्शन लगाकर उनके जीवन की रक्षा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि स्वास्थ्य केन्द्रों में समुचित मात्रा में एन्टीवेनम इंजेक्शन उपलब्ध हैं, इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी कराया जाए, ताकि लोगों को इसकी जानकारी हो। कमिश्नर ने कहा कि सर्पदंश से होने वाली मृत्यु को रोकने के लिए दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जागरूक किया जाए तथा उन्हें स्वास्थ्य केन्द्रों तक पहुंचकर समुचित उपचार कराने की सलाह दी जाए।कमिश्नर ने यह भी निर्देश दिए कि वर्षाकाल में होने वाली आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को राजस्व परिपत्र-64 के प्रावधानों के अनुरूप आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने उक्त निर्देश मंगलवार को समसामयिक विषयों की गूगल मीट के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में शहडोल संभाग के सभी कलेक्टरों एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए। गूगल मीट में कमिश्नर ने मातृ एवं शिशु मृत्यु दर की जिलेवार समीक्षा करते हुए कहा कि शहडोल संभाग में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सतत प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के मैदानी कर्मचारियों को एनीमिया मैनेजमेंट का प्रशिक्षण दिया जाए तथा महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया जाए। गूगल मीट में कमिश्नर ने आयुष्मान कार्ड बनने की जिलेवार समीक्षा करते हुए कहा कि आयुष्मान कार्ड से वंचित हितग्राहियों को चिन्हित किया जाए तथा उन्हें प्राथमिकता के साथ आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराए जाएं। कमिश्नर ने आयुष्मान कार्ड वितरण कार्य को प्राथमिकता से करने के निर्देश संभाग के सभी कलेक्टरों को दिए। गूगल मीट में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जिलेवार समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने कहा कि आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित किया जाए तथा सक्षम आंगनवाड़ी केन्द्रों में सभी सुविधाओं का विस्तार किया जाए। गूगल मीट में कमिश्नर ने शहडोल संभाग के सभी नगरीय क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन के लिए समुचित कार्य करने के निर्देश संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन को दिए। कमिश्नर ने कहा कि शहडोल संभाग के सभी नगरीय क्षेत्रों में नगरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में परिणाममूलक कार्य किए जाएं।

कप्तान ने किया यातयात थाना एवं कंट्रोल रूम का निरीक्षण

कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां

शहडोल। जिले की कानून व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, चुस्त-दुरुस्त और आम जनता के अनुकूल बनाने के लिए पुलिस महकमा पूरी तरह मुस्तैद नजऱ आ रहा है। इसी सिलसिले में पुलिस अधीक्षक डॉ. संजय कुमार अग्रवाल ने अचानक यातायात थाने और पुलिस कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत परखी। औचक निरीक्षण की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हलचल तेज़ हो गई, वहीं एसपी ने पूरी कार्यप्रणाली का बारीकी से मुआयना करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट और सख्त दिशा-निर्देश जारी किए। यातायात थाने के निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने रिकॉर्ड रूम, सीसीटीवी संधारण और विभिन्न रजिस्टरों की गहन जांच की। सडक़ों पर तैनात रहने वाले जवानों की सुरक्षा और व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उन्होंने निर्देश दिए कि हर जवान ड्यूटी के दौरान अनिवार्य रूप से बॉडी वॉर्न कैमरा पहनेगा। साथ ही, रात में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को रेडियम जैकेट और लाइट बैटन का उपयोग करने के सख्त निर्देश दिए गए ताकि हादसों पर लगाम लगाई जा सके। एसपी ने जवानों को ताकीद की कि वे सडक़ों पर आम जनता और वाहन चालकों के साथ शालीनता, संवेदनशीलता और विनम्रता से व्यवहार करें। इसके पश्चात एसपी डॉ. अग्रवाल पुलिस उन्होंने आपातकालीन सेवाओं के रिस्पांस टाइम का जायजा लिया। उन्होंने डायल 112 सेवा की समीक्षा करते हुए स्पष्ट कहा कि जनता की कॉल पर त्वरित प्रतिक्रिया होनी चाहिए। शहर के चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की लाइव फीड देखते हुए उन्होंने 24 घंटे पैनी निगरानी रखने के निर्देश दिए, ताकि असमाजिक तत्वों और यातायात बाधित करने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। वायरलेस संचार प्रणाली, अभिलेखों के रख-रखाव और परिसर में स्वच्छता का भी उन्होंने विशेष अवलोकन किया। निरीक्षण का सबसे सराहनीय पहलू यह रहा कि एसपी ने केवल निर्देश ही नहीं दिए, बल्कि मौके पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों से सीधा संवाद कर उनकी व्यक्तिगत एवं व्यावहारिक समस्याएं भी सुनीं और उनके त्वरित निराकरण का भरोसा दिया। इस औचक निरीक्षण से जहाँ एक ओर पुलिस बल का मनोबल बढ़ा है, वहीं दूसरी ओर आम नागरिकों में सुरक्षा और पुलिस प्रशासन के प्रति विश्वास और अधिक गहरा हुआ है।

छात्रवृत्ति में धांधली और भ्रामक जानकारी देने के आरोप

बीईओ के खिलाफ विद्यार्थी परिषद का हल्ला बोल, तत्काल हटाने की मांग

उमरिया। जिले के पाली विकासखंड के शिक्षा विभाग में चल रहे कथित कारनामों और वित्तीय गड़बडिय़ों ने अब एक बड़े सियासी और सामाजिक संग्राम का रूप ले लिया है। छात्रवृत्ति वितरण में भारी धांधली और सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत झूठे व भ्रामक आंकड़े परोसने के गंभीर आरोपों में घिरीं विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती सरिता जैन के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने मोर्चा खोल दिया है। अभाविप की उमरिया एवं शहडोल इकाई ने प्रशासनिक सुस्ती पर तीखे प्रहार करते हुए साफ कर दिया है कि यदि आरोपी अधिकारी पर तुरंत गाज नहीं गिरी, तो सडक़ों पर उग्र आंदोलन होगा।

जांच के आदेश बने कागजी घोड़े- मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शिकायत के बाद जांच के औपचारिक आदेश तो जारी कर दिए गए, लेकिन हकीकत में कार्रवाई के नाम पर केवल लीपापोती चल रही है। विद्यार्थी परिषद ने तीखा सवाल उठाया है कि जब तक संबंधित अधिकारी उसी कुर्सी पर विराजमान रहेंगी, तब तक भला निष्पक्ष जांच कैसे संभव है? क्या जांच अधिकारी अपने ही विभाग की बड़ी कुर्सी पर बैठे साहब के खिलाफ सच लिखने की हिम्मत जुटा पाएंगे? परिषद का स्पष्ट तर्क है कि जब तक पूरी जांच प्रक्रिया संपन्न नहीं हो जाती, तब तक बीईओ को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया जाए या किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाए, ताकि वे जांच प्रभावित न कर सकें।

गरीबों के हक की छात्रवृत्ति पर डाका!- विद्यार्थियों के हक-हकूक और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर विभाग की लापरवाही से क्षेत्र के अभिभावक भी बेहद आक्रोशित और चिंतित हैं। गरीब और जरूरतमंद बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में अनियमितता करना सीधे-सीधे उनके भविष्य से खिलवाड़ है। जब आरटीआई में मांगी गई जानकारी में भी गोलमोल जवाब दिए जाने लगे, तो साफ हो गया कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है।

विद्यार्थी परिषद की मुख्य मांगें- जांच प्रभावित होने से रोकने के लिए बीईओ को तुरंत उनके पद से हटाया जाए। एक निश्चित समयावधि के भीतर निष्पक्ष जांच कराकर पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। पीड़ित और प्रभावित विद्यार्थियों को उनकी रुकी हुई छात्रवृत्ति की राशि अविलंब प्रदान की जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं ने चेतावनी दी है कि वे छात्रों के अधिकारों की बलि नहीं चढऩे देंगे। यदि शासन-प्रशासन ने इस मामले में लीपापोती छोडक़र त्वरित और आक्रामक कदम नहीं उठाए, तो पूरे संभाग में लोकतांत्रिक तरीके से एक व्यापक और चरणबद्ध आंदोलन छेड़ा जाएगा। अब देखना यह होगा कि कुंभकर्णी नींद में सोया शिक्षा विभाग इस चेतावनी के बाद हरकत में आता है या फिर कुर्सी बचाने का खेल यूं ही जारी रहेगा!

खबर संक्षेप

अयोध्या-वाराणसी (काशी) के लिए 31 जुलाई को ट्रेन होगी रवाना

उमरिया। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत स्पेशल ट्रेन अयोध्या-वाराणसी (काशी) के लिए 31 जुलाई को रवाना होगी। कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय कि अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में 262 तीर्थयात्रियों का चयन रेंडमाईजेशन पध्दति से किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि धनुषधारी सिंह, शंभू लाल खटटर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। डिप्टी कलेक्टर कमलेश नीरज ने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत अयोध्या- वाराणसी (काशी) के लिए जिले में कुल 403 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 262 तीर्थयात्रियों का चयन रेंडमाईजेशन पध्दति से किया गया है तथा 26 तीर्थ यात्री प्रतीक्षा सूची में है। उन्होंने बताया कि तीर्थ यात्रा में चयनित 262 तीर्थ यात्रियों की सूची जिले के नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायतों के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जाएगी जहां से तीर्थ यात्री अपना नाम देख सकते है।

माय भारत जिला सलाहकार समिति की बैठक आज

उमरिया। कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय कि अध्यक्षता में माय भारत जिला सलाहकार समिति की बैठक 23 जुलाई को सुबह 11.30 बजे से कलेक्टर सभागार में आयोजित की गई है। समिति के सदस्यों से बैठक में उपस्थिति की अपेक्षा की गई है।

किसान 31 जुलाई तक करा सकते है फसल बीमा

उमरिया। फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। जिले के किसान निर्धारित तिथि तक फसल बीमा का पंजीयन करा सकते हैं। उप संचालक कृषि संग्राम सिंह मरावी द्वारा बताया गया कि खरीफ मौसम में फसलों का फसल बीमा प्रारंभ है । इस वर्ष मौसम और बारिश का चक्र प्रभावित हो रहा है। इसलिए सभी किसानों को सलाह दी गई है कि अपनी फसल का बीमा अवश्य करवायें। जिससे उन्हें विपरीत मौसमीय प्रभावों से हुई फसल हानि के दृष्टिगत शासन की ओर से मिलने वाला नियमानुसार लाभ मिल सके।उल्लेखनीय है कि वर्तमान में खरीफ मौसम 2026 में अधिसूचित फसलों के लिये कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि सोयाबीन के लिये 780 रुपये, मक्का 640 रुपये, धान सिंचित के लिये 880 रुपये व धान असिंचित 620 रुपये, उडद के लिए 486 रूपये तथा अरहर के लिये 740 रुपये प्रति हेक्टर निर्धारित किया गया है।उप संचालक ने बताया कि बताया कि ऋणी किसान बैंक में जाकर बुआई प्रमाण-पत्र के माध्यम से फसलों का बीमा करायें एवं अऋणी किसान अपने निकटतम बैंक शाखाध्सहकारी समितिध्अधिकृत चौनल एवं जन सेवा केंद्र सी.एस.सी. एवं कृषक स्वयं भी राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर जाकर ऑनलाईन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। अतिरिक्त सलाह हेतु टोल फ्री नं0 14447 पर कॉल कर सकते है।

दस्तावेजों में वैधानिक संचालन का स्पष्ट आधार

बेसमेंट नोटिस के बीच नियमों पर खरा उतरा आदित्य सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल

एईआरबी मंजूरियों से मजबूत हुआ अस्पताल का पक्ष

शहडोल। नगर पालिका परिषद शहडोल द्वारा बेसमेंट उपयोग के संबंध में जारी नोटिसों के क्रम में आदित्य सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पिटल से भी आवश्यक जानकारी मांगी गई थी। अस्पताल प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, वैधानिक स्वीकृतियों और तकनीकी अनुमतियों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि बेसमेंट में संचालित चिकित्सीय सेवाएं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 (संशोधित) तथा परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद के निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालित की जा रही हैं। नगर पालिका परिषद शहडोल द्वारा शहर में बेसमेंट के उपयोग को लेकर चल रही प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत विभिन्न संस्थानों से जानकारी मांगी जा रही है। इसी क्रम में न्यू बायपास, रीवा रोड स्थित आदित्य सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पिटल को भी बेसमेंट में संचालित गतिविधियों से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। उपलब्ध अभिलेखों और अस्पताल द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन करने पर यह सामने आता है कि संस्था ने निर्धारित समय-सीमा में आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए अपने संचालन की वैधानिक स्थिति

स्पष्ट कर दी है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार नगर पालिका के 21 नवंबर 2025 के पत्र के जवाब में 15 दिसंबर 2025 को सभी आवश्यक अभिलेख कार्यालय में प्रस्तुत कर दिए गए थे। इसके बाद 13 जुलाई 2026 को प्राप्त पत्र के संदर्भ में भी अस्पताल ने पत्र के माध्यम से पूर्व में उपलब्ध कराई गई जानकारियों का विस्तृत उल्लेख करते हुए आवश्यक दस्तावेज दोबारा प्रस्तुत किए। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था ने प्रशासनिक प्रक्रिया में सहयोगात्मक रुख अपनाया है।

मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बेसमेंट में संचालित चिकित्सा सुविधाओं से जुड़ा है। अस्पताल के बेसमेंट में सीटी स्कैन, फिक्स्ड एक्स-रे यूनिट और कैथ लैब जैसी अत्याधुनिक चिकित्सीय सेवाएं संचालित हैं। ये सभी रेडिएशन आधारित उपकरण परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद, मुंबई से विधिवत पंजीकृत एवं लाइसेंस प्राप्त हैं।

उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार इनकी वैधता वर्ष 2030 तक है। मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 की धारा-76 में चिकित्सीय उपचार एवं अनुसंधान से जुड़े रेडिएशन कक्षों के संचालन की अनुमति का स्पष्ट प्रावधान है, जिससे अस्पताल का पक्ष और मजबूत होता है।

बेसमेंट के शेष हिस्से का उपयोग एचवीएसी प्रणाली, आवश्यक मशीनरी, अस्पताल संचालन से संबंधित सामग्री के सुरक्षित भंडारण, स्टोर तथा तकनीकी व्यवस्थाओं के लिए किया जा रहा है। यह उपयोग भी भूमि

विकास नियमों में वर्णित अनुमत श्रेणियों के अंतर्गत आता है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि बेसमेंट में किसी प्रकार की अनधिकृत दुकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान अथवा नियमों के विपरीत गतिविधि संचालित नहीं की जा रही है। अस्पताल द्वारा नगर पालिका परिषद शहडोल में वित्तीय वर्ष 2025-26 का भवन कर भी नियमित रूप से जमा किया गया है। 4 दिसंबर 2025 को जारी कर रसीद में भवन के विभिन्न हिस्सों के साथ बेसमेंट का भी उल्लेख दर्ज है। इससे यह संकेत मिलता है कि संस्था ने अपन भवन सबधा ाववरण स्थानाय ानकाय क समक्ष पारदर्शी रूप से प्रस्तुत किए हैं।

आदित्य सुपरस्पेशियलिटी हॉस्पिटल के संचालक डॉ. आदित्य द्विवेदी ने बताया कि अस्पताल का निर्माण एवं संचालन नगर पालिका से प्राप्त स्वीकृतियों तथा लागू भवन नियमों के अनुरूप किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा मांगी गई प्रत्येक जानकारी प्रमाणिक दस्तावेजों सहित उपलब्ध करा दी गई है। बेसमेंट में केवल मरीजों के उपचार से जुड़ी आवश्यक चिकित्सा सेवाएं एवं तकनीकी मशीनरी संचालित हैं और संस्था प्रशासन द्वारा किए जाने वाले किसी भी भौतिक सत्यापन में पूर्ण सहयोग के लिए तैयार है।

उपलब्ध अभिलेखों, एईआरबी की मंजूरियों, भवन कर रसीदों तथा अस्पताल द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर यह परिलक्षित होता है कि बेसमेंट का उपयोग मुख्य रूप से चिकित्सीय सेवाओं एवं तकनीकी आवश्यकताओं के लिए किया जा रहा है। ऐसे में प्रस्तुत दस्तावेजों और मौके के भौतिक सत्यापन के आधार पर प्रकरण के तथ्यात्मक एवं नियमानुकूल निराकरण की संभावना मजबूत दिखाई देती है।

जिला पोषण समिति की बैठक संपन्न

उमरिया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला पोषण समिति की बैठक में कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय ने स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि समन्वय बनाकर आंगनबाड़ी केन्द्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं व पोषण आहार उपलब्धता का कार्य करें। उन्होंने कहा कि कुपोषित बच्चों को एन आर सी मे भर्ती कराया जाए तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत बच्चों को शासन के निर्देशानुसार पोषण आहार व अन्य आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जाए। कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक शनिवार को महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले के कर्मचारी आपस में बैठक कर डाटा का मिलान करें तथा जिला स्तर से अधिकारी संयुक्त रूप से ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करें। उन्होंने कहा कि दिव्यांग बच्चों की पहचान के लिए चिकित्सक से संपर्क कर उन्हें समुचित उपचार व सुविधाएं दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाए। महिला एवं बाल विकास विभाग के मैदानी अमले को स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में जानकारी देने के उददेश्य से प्रशिक्षण की व्यवस्था भी कराई जाए ।

बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास दिव्या गुप्ता ने बताया कि पोषण टेकर अनुसार सैम, मैप एवं सम के अनुसार सैम बच्चों का प्रतिशत 0.85 प्रतिशत, मैम बच्चों का प्रतिशत 4.54 प्रतिशत तथा सम बच्चों का प्रतिशत 3.86 है। उन्होंने बताया कि नवीन चिन्हित गंभीर कुपोषित बच्चों की संख्या में सैम बच्चो की संख्या 150, मैम बच्चों की संख्या 499 तथा सम बच्चों की संख्या 333 है । एम एम बास्क अंतर्गत पंजीकृत बच्चों में सैम बच्चो की संख्या 146, मैम बच्चो की संख्या 634 तथा सम बच्चो की संख्या 425 है। इसी तरह बैठक में लक्षित गर्भवती महिलाओं के व्दितीय एनसी की जानकारी अद्यतन एवं जेस्टेशनल वेट गैन की स्थिति ,आंगनबाड़ी केद्रों मे आयोजित सीबीई एवं व्ही एच एस एन डी गतिविधि, नाश्ता एवं गर्म पका नाश्ता भोजन, पोषण ट्रैकर पंजीयन सहित अन्य बिंदुओ की जानकारी दी गई। इस अवसर पर सीएमएचओ डा व्ही एस चंदेल, सिविल सर्जन डा के सी सोनी सहित बीएमओ ,सीडीपीओ तथा स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

बिजुरी पुलिस की कार्रवाई, 750 ग्राम गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार, बाइक भी जब्त

बिजुरी। जिले में नशे के कारोबार पर शिकंजा कसते हुए बिजुरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 750 ग्राम अवैध गांजा तथा तस्करी में प्रयुक्त हीरो मोटरसाइकिल जब्त की गई है। जब्त सामग्री की कुल अनुमानित कीमत 58 हजार रुपये बताई गई है। पुलिस अधीक्षक विक्रांत मुराब के निर्देश पर जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ मरकाम एवं एसडीओपी कोतमा आरती शाक्य के मार्गदर्शन में बिजुरी पुलिस ने यह कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार, 18 जुलाई को पंचमुखी हनुमान मंदिर, लोहसरा रोड बिजुरी के पास वाहन चेकिंग के दौरान बहेराबांध की ओर से आ रहे एक व्यक्ति को रोका गया। उसकी हीरो मोटरसाइकिल की तलाशी लेने पर हैंडल में टंगे सफेद झोले के अंदर काली पॉलीथिन में रखा 750 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम

हेतराम जोगी (50 वर्ष) निवासी बेलिया बड़ी थाना कोतमा, वर्तमान निवासी वार्ड क्रमांक-7 भालूगुड़ार, बिजुरी बताया। मौके पर पंचों की मौजूदगी में बरामदगी की कार्रवाई की गई। आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपी से 750 ग्राम गांजा (कीमत लगभग 8 हजार रुपये) तथा हीरो मोटरसाइकिल (कीमत लगभग 50 हजार रुपये) जब्त की है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक विकास सिंह, उपनिरीक्षक प्रभाकर पटेल, आरक्षक रवि सिंह, रामनिवास गुर्जर, संगम तोमर सहित पुलिस टीम की उल्लेखनीय भूमिका रही। पुलिस का कहना है कि जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

नगर परिषद बनगवां, डोला और डूमरकछार में मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति

राजनगर। मध्यप्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय भोपाल द्वारा नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (ग) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनूपपुर जिले की नगर परिषद बनगवां (राजनगर), डोला एवं डूमरकछार के लिए मनोनीत पार्षद (एल्डरमैन) नियुक्त किए गए हैं। इस संबंध में शासन द्वारा विधिवत अधिसूचना जारी कर दी गई है। नगर परिषद बनगवां (राजनगर) में देवनाथ त्रिपाठी (वार्ड-2), महेश जेठानी (वार्ड-9), श्रीमती सुनीता सिंह (वार्ड-14) तथा रोहित यादव (वार्ड-5) को मनोनीत पार्षद बनाया गया है। इसी प्रकार नगर परिषद डूमरकछार में राकेश मिश्रा (वार्ड-3), श्रीमती ममता पात्रो (वार्ड-8), श्रीमती कुषमा देवी (वार्ड-6) तथा पंचम पाव (वार्ड-1) को एल्डरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं नगर परिषद डोला में श्रीमती सावित्री बाई पटेल (वार्ड-12, अयोध्या बस्ती), श्रीमती मीना यादव (वार्ड-4), बैजनाथ मेहता (वार्ड-10) तथा लालमणि यादव (वार्ड-11) को मनोनीत पार्षद नियुक्त किया गया है। अधिसूचना जारी होने के बाद तीनों नगर परिषदों में राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखा गया। नव नियुक्त मनोनीत पार्षदों को नगर परिषदों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षदगण, जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों ने बधाई और शुभकामनाएं दीं। जनप्रतिनिधियों ने विश्वास व्यक्त किया कि सभी मनोनीत पार्षद शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से आमजन तक पहुंचाने, नगर परिषद क्षेत्रों के विकास कार्यों को गति देने तथा नागरिकों की समस्याओं के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। उनसे अपेक्षा की गई है कि वे जनसेवा, पारदर्शिता और विकास के संकल्प के साथ अपने-अपने नगर परिषद क्षेत्रों की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

10 साल की लड़ाई के बाद किसानों को मिली बड़ी राहत

हाईकोर्ट का आदेश, 30 दिन में 9 प्रतिशत ब्याज सहित दें मुआवजा

नहीं तो देना होगा अतिरिक्त ब्याज

कोतमा। राष्ट्रीय राजमार्ग 78/43 के निर्माण के लिए लगभग दस वर्ष पहले अधिग्रहित की गई भूमि का मुआवजा न मिलने से परेशान कोतमा तहसील के 23-24 किसानों को आखिरकार मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर से बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमपीआरडीसी) को निर्देश दिया है कि 29 अप्रैल के अवार्ड के अनुसार 30 दिनों के भीतर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किसानों को मुआवजा अदा किया जाए। यदि निर्धारित समय सीमा में भुगतान नहीं किया गया तो अतिरिक्त ब्याज लगाने की कार्रवाई भी की जा सकती है। बताया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 78/43 के निर्माण के दौरान किसानों की भूमि अधिग्रहित कर ली गई थी, लेकिन कई किसानों को आज तक मुआवजा नहीं मिला। इस दौरान सड़क का निर्माण पूरा हो गया, टोल टैक्स की वसूली भी शुरू हो गई, लेकिन प्रभावित किसान वर्षों तक न्याय के लिए भटकते रहे। यह मामला उस समय भी सुर्खियों में आया था, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनियमितताओं के आरोपों के चलते तत्कालीन एसडीएम एवं भू-अर्जन अधिकारी मिलिंद नागदेव को निलंबित किया था। इसके बावजूद किसानों को राहत नहीं मिल सकी। मुआवजा नहीं मिलने पर सभी प्रभावित किसानों ने सामूहिक रूप से हाईकोर्ट की शरण ली। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) और एमपीआरडीसी के अधिकारियों के बीच मुआवजा भुगतान को लेकर जिम्मेदारी तय न होने तथा विभिन्न अनियमितताओं की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया। अधिवक्ता ने यह भी बताया कि मुआवजे का अवार्ड पहले ही पारित हो चुका है, फिर भी किसानों को भुगतान नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने मामले में एनएचएआई के चेयरमैन और एमपीआरडीसी के प्रबंध संचालक से भी जवाब तलब किया था कि आखिर मुआवजा भुगतान की जिम्मेदारी किस अधिकारी की है। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए जाने के बावजूद वे उपस्थित नहीं हुए, जिसके बाद उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई की गई। सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि एमपीआरडीसी के प्रबंध संचालक 29 अप्रैल के अवार्ड के अनुसार 9 प्रतिशत ब्याज सहित 30 दिनों के भीतर किसानों को मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करें। आदेश का पालन नहीं होने पर अतिरिक्त ब्याज लगाए जाने की भी संभावना जताई गई है। हाईकोर्ट के इस फैसले को वर्षों से न्याय की लड़ाई लड़ रहे किसानों के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है। इससे प्रभावित किसानों में राहत और संतोष का माहौल है।

महाविद्यालय में पोस्टर निबंध प्रतियोगिता और नशामुक्ति शपथ का आयोजन

कोतमा। शासन द्वारा संचालित नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत शासकीय महाराजा मार्तंड महाविद्यालय, कोतमा में मंगलवार को जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पोस्टर निर्माण एवं निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम महाविद्यालय के प्राचार्य मोहम्मद मोबीन की उपस्थिति में संपन्न हुआ। उन्होंने विद्यार्थियों से नशे से दूर रहकर स्वस्थ, सकारात्मक और जिम्मेदार जीवन अपनाने का आहवान किया। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी यदि नशे से दूर रहेगी, तभी समाज और राष्ट्र का भविष्य सुरक्षित एवं सशक्त बन सकेगा। कार्यक्रम का संचालन एवं आयोजन सुश्री नम्रता बघेल और कृष्णा सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई के कार्यक्रम अधिकारी डॉ. शिव कैलाश यादव एवं सुश्री वैष्णवी दारको सहित महाविद्यालय का स्टाफ एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन पर सभी उपस्थित प्राध्यापकों, कर्मचारियों एवं छात्र-छात्राओं ने नशामुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लेते हुए नशामुक्ति की शपथ ग्रहण की। आयोजन का उद्देश्य युवाओं में नशे के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना रहा।

रामनगर थाना के सामने कांग्रेस का धरना-प्रदर्शन, एसडीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

राजनगर। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी राजनगर के तत्वावधान में सोमवार को रामनगर थाना के सामने धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शन के उपरांत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनुविभागीय दण्डाधिकारी (एसडीएम) कोतमा के नाम संबोधित ज्ञापन रामनगर थाना प्रभारी को सौंपकर अपना विरोध दर्ज कराया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राहुल सिंह परिहार के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि 21 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी सहित अन्य कांग्रेस सांसद प्रधानमंत्री आवास के निकट छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में धरना-प्रदर्शन कर रहे थे। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि इस दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए विरोध व्यक्त किया। ज्ञापन के माध्यम से संबंधित मामले में वैधानिक कार्रवाई किए जाने तथा विरोध दर्ज कराने की मांग की गई। धरना-प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी बात रखी। कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, जिसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कोतमा में सिकल सेल एनीमिया जांच एवं उपचार शिविर आयोजित

64 मरीजों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण

कोतमा। स्वास्थ्य विभाग अनूपपुर, आयुष विभाग अनूपपुर एवं जन स्वास्थ्य गनियारी संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतमा में एक दिवसीय सिकल सेल एनीमिया जांच एवं उपचार शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 64 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श एवं दवाइयां उपलब्ध कराई गईं। शिविर के दौरान डॉ. संगीता प्रजापति ने सभी मरीजों की स्वास्थ्य जांच कर उन्हें सिकल सेल एनीमिया के लक्षण, बचाव, उपचार और रोग प्रबंधन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। मरीजों को आधुनिक चिकित्सा के तहत हाइड्रॉक्सी यूरिया एवं फोलिक एसिड दवाइयों के साथ आयुष विभाग की ओर से च्यवनप्राश, अश्वगंधा चूर्ण एवं रास्ना सप्तक काढ़ा जैसी सहायक

आयुर्वेदिक औषधियां भी वितरित की गईं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से 23 मरीजों का टीकाकरण भी किया गया। इनमें 21 मरीजों को प्रथम डोज तथा 2 मरीजों को द्वितीय डोज लगाया गया। शिविर के सफल संचालन में खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. केएल दीवान का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण रहा। वहीं जन स्वास्थ्य गनियारी संस्थान की टीम ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। संस्थान की ओर से पवन गुप्ता (काउंसलर), पूजा मेहरा, सीमा सिंह, सीमा निराला, ममता सिंह एवं आरती सिंह उपस्थित रहीं। आयोजकों ने बताया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य सिकल सेल एनीमिया से प्रभावित एवं जरूरतमंद मरीजों तक समय पर जांच, उपचार, परामर्श और दवाइयां पहुंचाकर उनके स्वास्थ्य में सुधार लाना तथा इस गंभीर आनुवंशिक बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है।

खबर संक्षेप

स्वीट कॉर्न एवं सब्जी उत्पादन से बढ़ रही किसानों की आय

उमरिया। जिले में किसान अब परंपरागत खेती के साथ-साथ एकीकृत कृषि प्रणाली (इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम) को अपनाकर स्वीट कॉर्न (मीठा मक्का) एवं विभिन्न प्रकार की सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं। यह खेती किसानों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है, जिससे उनकी आय में निरंतर वृद्धि हो रही है। उपसंचालक कृषि संग्राम सिंह मरावी ने कृषि विस्तार अधिकारी बद्री सिंह एवं पंकज परमार के साथ किसानों के खेतों का भ्रमण कर स्वीट कॉर्न एवं सब्जी फसलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से संवाद कर फसलों की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली तथा बेहतर उत्पादन एवं गुणवत्तापूर्ण उपज प्राप्त करने के लिए आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन दिया। उप संचालक कृषि ने किसानों को सलाह दी कि एकीकृत कृषि प्रणाली अपनाकर कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि फसल विविधीकरण, सब्जी उत्पादन एवं बाजार की मांग के अनुरूप खेती करने से किसानों की आमदनी में वृद्धि के साथ जोखिम भी कम होता है। उन्होंने संतुलित उर्वरक प्रबंधन, समय पर सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण एवं कीट-रोग प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की अपील की। निरीक्षण के दौरान कृषि अधिकारियों ने किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने, वैज्ञानिक सलाह के अनुसार खेती करने तथा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी प्रेरित किया। किसानों ने कृषि विभाग की इस पहल की सराहना करते हुए बताया कि स्वीट कॉर्न एवं सब्जी उत्पादन से उन्हें बेहतर आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहा है और भविष्य में वे इस खेती का रकबा और बढ़ाने की योजना बना रहे हैं।

शासकीय नेहरू महाविद्यालय बुढ़ार में 'नशा मुक्त भारत अभियान' के तहत दो दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम संपन्न

बुढ़ार। शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बुढ़ार में 'नशा मुक्त भारत अभियान' के अंतर्गत चरणबद्ध रूप से विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का सफल आयोजन किया गया। दो दिवसीय इस अभियान के माध्यम से महाविद्यालय ने युवाओं और समाज को नशामुक्त भारत के निर्माण का सशक्त संदेश दिया।

रैली निकालकर दिया जनजागरूकता का संदेश

अभियान के प्रथम चरण में 20 जुलाई 2026 को राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) इकाई द्वारा नगर में एक भव्य नशा मुक्ति जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में शामिल विद्यार्थियों ने ₹नशा छोड़ो, जीवन जोड़ो₹ और ₹नशा मुक्त भारत–स्वस्थ भारत जैसे प्रेरक नारों के माध्यम से आमजन को नशे के प्रति जागरूक किया।

मुख्य कार्यक्रम और अतिथियों का उद्बोधन

इसी श्रृंखला में 22 जुलाई 2026 को महाविद्यालय परिसर में मुख्य नशा मुक्त भारत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एसडीओपी विकास पाण्डेय एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में टीआई विनय सिंह उपस्थित रहे।

एसडीओपी विकास पाण्डेय ने नशे के बढ़ते दुष्प्रभावों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहाः नशा व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र सभी के लिए घातक है। युवाओं को नशे से दूर रहकर शिक्षा, खेल, योग तथा सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ना चाहिए और समाज में जागरूकता फैलानी चाहिए। टीआई विनय सिंह गहरवार ने युवाओं को संबोधित करते हुए नशे के सामाजिक एवं कानूनी दुष्परिणामों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

शपथ ग्रहण और विचार

कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. गंगा मिश्रा ने की। उन्होंने स्वागत भाषण देते हुए अतिथियों का अभिनंदन किया और विद्यार्थियों को नशामुक्त भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। डॉ. अनिल उपाध्याय ने भी नशे के शारीरिक व मानसिक दुष्प्रभावों पर अपने विचार रखे।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित समस्त अतिथियों, प्राध्यापकों एवं विद्यार्थियों को नशामुक्त भारत के निर्माण की शपथ दिलाई गई।

सफल मंच संचालन एवं उपस्थिति

कार्यक्रम का कुशल मंच संचालन डॉ.रानी पटेल ने किया तथा आभार प्रदर्शन डॉ. राधेश्याम नापित द्वारा किया गया। कार्यक्रम का औपचारिक समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस अवसर पर डॉ. किरण सिंह, डॉ. अनिल उपाध्याय, डॉ. बी. के. सोनवानी, डॉ. आर. सी. त्रिपाठी, डॉ. एस. एम. प्रजापति, डॉ. मनीज कुजूर, डॉ. राधेश्याम नापित, डॉ. जयशंकर सिंह, डॉ. दीपक पटेल, डॉ.शशिमोहन सेन, डॉ. ममता द्विवेदी, डॉ. रानी पटेल, डॉ. दिनेश वर्मा एवं डॉ. कमलेश प्रजापति पत्रकार आशीष नामदेव सहित महाविद्यालय के समस्त अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहे।

स्वस्थ, सुरक्षित एवं जागरूक समाज बनाने में विद्यार्थियों की अहम भूमिका

विद्यार्थियों ने नशामुक्त समाज के निर्माण हेतु लिया संकल्प; 'नशे से दूरी है जरूरी 2.0'अभियान के तहत शासकीय नेहरू महाविद्यालय में जागरुकता कार्यक्रम

बुढ़ार। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव के मार्गदर्शन में पूरे मध्य प्रदेश में 15 जुलाई से 30 जुलाई तक चलाए जा रहे 'नशे से दूरी है जरूरी 2.0' अभियान के अंतर्गत बुधवार को स्थानीय प्रधानमंत्री एक्सीलेंस शासकीय नेहरू महाविद्यालय, बुढ़ार में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्र-छात्राओं ने नशामुक्त समाज के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने और नशे से दूर रहने का संकल्प लिया।

पुलिस प्रशासन व महाविद्यालय परिवार की मौजूदगी

पुलिस अधीक्षक संजय कुमार अग्रवाल के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में अनुविभागीय पुलिस अधिकारी विकास पाण्डेय,थाना प्रभारी विनय सिंह गहरवार, महाविद्यालय की प्राचार्या श्रीमती गंगा मिश्रा तथा वरिष्ठ प्रोफेसर अनिल उपाध्याय, डाक्टर राधेश्याम नापित अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

रचनात्मक गतिविधियों से दिया नशामुक्त समाज का संदेश

धनपुरी, बुढ़ार एवं कोयलांचल के आस-पास के क्षेत्रों से आए विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों का सहारा लिया गया। छात्र-छात्राओं ने कला और अभिव्यक्ति के माध्यम से नशे से होने वाली शारीरिक, मानसिक और सामाजिक हानि को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया।

विद्यार्थी ही एक स्वस्थ, सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य के निर्माता हैं। वे न केवल स्वयं नशे से दूर रहें, बल्कि अपने परिवार और समाज को भी इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करें।₹

— विकास पाण्डेय, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी

कार्यक्रम के दौरान एसडीओपी विकास पाण्डेय ने युवाओं को प्रेरित करते हुए उपस्थित सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं नागरिकों को नशामुक्त समाज के निर्माण की शपथ दिलाई।

कार्यक्रम में इनकी रही उपस्थिति

आयोजन में महाविद्यालय परिवार से प्रोफेसर किरण सिंह, एन. मनिकपुरी, विनय सोनवानी, सहायक प्राध्यापक आर. पी. त्रिपाठी, डॉ. एस. एन. प्रजापति, डॉ. दिनेश वर्मा, ममता द्विवेदी, जय शंकर प्रजापति, प्रोफेसर श्रीमती रानु सोनी, और अजय जैन एवं छात्र छात्राओं मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालनः श्रीमती रानी पटेल आभार प्रदर्शनः डॉ.राधेश्याम नापित

महाविद्यालय में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजितः मेधावी छात्र-छात्राएं प्रशस्ति-पत्र व स्मृति-चिन्ह से सम्मानित

मेधावी विद्यार्थी ही राष्ट्र का भविष्य हैंः विधायक

बुढ़ार। शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बुढ़ार में प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं की शैक्षणिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने एवं उन्हें राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से एक गरिमामय 'प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम' का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के विधायक जयसिंह मरावी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह का शुभारंभ माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ।

अनुशासन और परिश्रम ही सफलता की कुंजी

अपने मुख्य आतिथ्य उद्बोधन में विधायक जयसिंह मरावी ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा, मेधावी विद्यार्थी ही राष्ट्र का भविष्य हैं। उन्होंने युवाओं से जीवन में अनुशासन, उच्च संस्कार, अनवरत परिश्रम एवं सामाजिक उत्तरदायित्वों का पालन करते हुए देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

शिक्षा केवल ज्ञान नहीं, व्यक्तित्व निर्माण का आधारः प्राचार्य

महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. गंगा मिश्रा ने सम्मानित होने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान प्राप्त करने का जरिया नहीं है, बल्कि यह सर्वांगीण व्यक्तित्व निर्माण और मजबूत राष्ट्र निर्माण का मूल आधार है।

मेधावियों को मिला सम्मान

समारोह के दौरान विभिन्न संकायों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को अतिथियों द्वारा प्रशस्ति-पत्र एवं स्मृति-चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। सम्मान पाकर विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे।

वरिष्ठ प्राध्यापक व गणमान्य जन रहे मौजूद

कार्यक्रम में महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. एन. माणिकपुरी, डॉ. किरण सिंह, डॉ. अनिल उपाध्याय, डॉ. बी.के. सोनवानी, डॉ. आर.सी. त्रिपाठी, डॉ. एस.एम. प्रजापति, डॉ. मनीज कुजूर, डॉ. राधेश्याम नापित,डॉ,अनूप सेन, डॉ.जयशंकर सिंह, डॉ. दीपक पटेल, डॉ. शशिमोहन सेन, डॉ.ममता द्विवेदी, डॉ. रानी पटेल, डॉ. दिनेश वर्मा, डॉ. कमलेश प्रजापति तथा डॉ. रानू सोनी सहित समस्त प्राध्यापकगण, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों ने सम्मानित विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की तथा आयोजकों द्वारा उपस्थित सभी जनों के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

जिले में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ

उमरिया। मेरा युवा भारत केंद्र, द्वारा विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन को साकार करने के उद्देश्य से जिले भर में नशा मुक्त युवा अभियान का व्यापक स्तर पर शुभारंभ किया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाना, उन्हें राष्ट्र निर्माण की सकारात्मक गतिविधियों से जोडना तथा युवाओं के नेतृत्व में नशा विरोधी जन-आंदोलन खड़ा करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन , संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ड्रग एब्यूज के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, यह अभियान मुख्य रूप से रोकथाम और प्रारंभिक हस्तक्षेप पर आधारित है. भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चिह्नित संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रित एवं प्रभावी जन-जागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। उल्लेखनीय है कि अभियान की मुख्य गतिविधियों एवं प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिताओं के तहत जिले में 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को जोडने के लिए पोर्टल के माध्यम से 8 प्रमुख प्रतिस्पर्धी विधाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेताओं को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर (नई दिल्ली) पर भाग लेने का अवसर मिलेगा जिसमे लोक संगीत, नृत्य, नुक्कड़ नाटक, माइम एक्ट, चित्रकला प्रतियोगिता, वाद विवाद एवं भाषण, शार्ट फिल्म, रील, स्लोगन लेखन, स्लैम पोएट्री शामिल है।

स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करनें के सभी प्रयास प्राथमिकता से करें- कलेक्टर

शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर को कम करनें की पहल करें

उमरिया। कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक संपन्न हुई। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करनें के सभी प्रयास प्राथमिकता से किए जाए तथा शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर को कम करनें में स्वास्थ्य एवं महिला एवं बाल विकास विभाग समन्वित प्रयास करें ।

बैठक में कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक गर्भवती महिला का पंजीयन हो और यह प्रयास होना चाहिए कि कोई भी गर्भवती महिला छूटे नही । इसके लिए स्वास्थ्य विभाग का मैदानी अमला तत्परता से कार्य करें और जिला स्तर पर इसकी सतत मानीटरिंग की जाए। उन्होंने संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर इसकी उपलब्धि शत प्रतिशत करने व पोर्टल में आवश्यक इंट्री अनिवार्यतः करनें के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने कहा कि गर्भवती महिला को नियत समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए उनकी नियमित जांच की जाए । उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रो एक्टिव होकर प्रसूता को प्रसव से पूर्व ही अस्पताल तक पहुंचाने की व्यवस्था हो जाए ताकि बाद में उसे अस्पताल तक पहुंचने में परेशानी न हो । उन्होंने आशा कार्यकर्ता को गांव के भ्रमण के दौरान पुरूष व महिलाओं की शुगर , बीपी व फैटीलीवर की जांच करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने एस एन सी यू से डिस्चार्ज बच्चों के नियमित फालोअप लेने , टीकाकरण करने और कुपोषित बच्चों को एन आर सी में भर्ती कराने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। सिकल सेल उन्मूलन कार्यक्रम में स्क्रीनिंग कर उन्हें उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश बैठक में दिए गए। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत शैक्षणिक संस्थाओं में विद्यार्थियों की नियमित जांच व स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजन के निर्देश अधिकारियों को दिए गए । कलेक्टर ने कहा कि दस्तक अभियान की नियमित मानीटरिंग भी करें । बैठक में कलेक्टर ने आयुष्मान कार्ड निर्माण की प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए । इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा व्ही एस चंदेल ने बताया कि अनमोल पोर्टल में ए एन सी पंजीयन की प्रगति 53 प्रतिशत व तिमाही पंजीयन की प्रगति 92 प्रतिशत है ।गत त्रैमास में 90 प्रतिशत टीकाकरण का कार्य किया जा चुका है । कलेक्टर ने पाली विकासखंड में टीकाकरण कार्य की प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए । अंधत्व निवारण कार्यक्रम में अनुपातिक लक्ष्य 965 के विरूध्द 335 आपरेशन हुए जबकि राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम में 92 प्रतिशत की प्रगति के साथ 647 व्यक्तियो को फूड बास्केट प्रदान किए गए। सिकल सेल उन्मूलन में 467 पाजीटिव मरीजों का उपचार किया जा रहा है । इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग दिव्या गुप्ता, सिविल सर्जन डा के सी सोनी सहित बीएमओ ,सीडीपीओ तथा स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

रक्सा में सदगुरु क्रेशर की गुंडागर्दी, खनिज और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी बने धृतराष्ट्र

मुख्यमंत्री के विभाग के नाक तले धज्जियां उड़ा रहा कारोबारी

मानपुर। जनपद पंचायत मानपुर की ग्राम पंचायत रक्सा में संचालित सदगुरु क्रेशर और उससे संबद्ध पत्थर खदान इस समय अवैध गतिविधियों और प्रशासनिक मिलीभगत का सबसे बड़ा अड्डा बन चुकी है। नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए संचालक द्वारा स्वीकृत मानकों को किनारे कर बेतहाशा और जानलेवा गहराई तक खनन किया जा चुका है। स्थिति यह है कि क्षेत्र में विशालकाय और मौत को दावत देती खाइयां बन चुकी हैं, लेकिन स्थानीय खनिज विभाग और मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदकर किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि स्वयं मुख्यमंत्री के पास खनिज साधन मंत्रालय का प्रभार होने के बावजूद, निचले स्तर पर अफसरशाही और खनन कारोबारी का गठजोड़ इस कदर हावी है कि सरकारी नियम कागजों का टुकड़ा बनकर रह गए हैं। ग्राम पंचायत से बिना किसी वैध अनापत्ति प्रमाण पत्र के धड़ल्ले से चल रहा यह क्रेशर शासन की पूरी व्यवस्था को सीधा खुला चैलेंज दे रहा है।

सरकारी नियमों का खुला मखौल

पर्यावरण स्वीकृति पत्र और सरकारी गाइडलाइंस के कड़े प्रावधानों को सदगुरु क्रेशर संचालक ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार खदान क्षेत्र के चारों ओर न तो कोई बाउंड्री पिलर है और न ही सुरक्षा फेंसिंग। लीज क्षेत्र में किए गए कार्यों की ग्राम पंचायत को कोई सूचना तक नहीं दी गई और न ही पटवारी रजिस्टर में कोई इंद्राज है। महानिदेशालय द्वारा निर्धारित 500 मीटर के डेंजर जोन के नियमों का सरेआम उल्लंघन हो रहा है। मौके पर खदान की जानकारी देने वाला कोई सूचना पटल या सुरक्षा उपाय अंकित नहीं हैं।

धूल से बेहाल गांव, गायब स्प्रिंकलर

निकासी सडक़ न तो पक्की बनाई गई है और न ही पानी छिडक़ाव के लिए सोलर पंप या ओवरहेड स्प्रिंकलर लगे हैं। क्रेशर की सडक़ से 100 मीटर दूरी और बसाहट से 500 मीटर की दूरी पर 04 मीटर ऊंची विंड ब्रेकिंग वॉल का कोई अता-पता नहीं है। क्रेशर से उडऩे वाली डस्ट से आस-पास के खेत और ग्रामीणों के फेफड़े तबाह हो रहे हैं। बिना ढके और बिना नमी वाले वाहनों में खनिज का ओवरलोड परिवहन जारी है, जिससे हवा में फुगिटिव उत्सर्जन चरम पर है।

विस्फोटक और ब्लास्टिंग का खतरा

सुरक्षा नियमों को ताक पर रखकर ब्लास्टिंग के दौरान भारी ओवरचार्जिंग की जा रही है, जिससे आस-पास की जमीनें कांप रही हैं। खदान का प्रदूषित पानी सीधे बाहर बहाया जा रहा है। न तो गार्लैंड ड्रेन बनी है और न ही सेटलिंग टैंक। खदान में काम करने वाले मजदूरों का न तो 6 माह में स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है और न ही उन्हें सेफ्टी किट, विश्राम गृह या पृथक शौचालय जैसी प्राथमिक सुविधाएं दी गई हैं।

पर्यावरण और वन नियमों का सरेआम कत्ल

नियमों के मुताबिक, किसी भी पेड़ को काटने से पहले ग्राम पंचायत की एनओसी और वन विभाग की अनुमति अनिवार्य होती है। वहीं 250 मीटर की वन परिधि में संभाग स्तरीय आयुक्त समिति की शर्तों का पालन होना चाहिए, लेकिन रक्सा में पेड़ों की बलि चढ़ाकर पर्यावरण संतुलन को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। ओवरबर्डन और मलबे का वैज्ञानिक पुनरुपयोग करने के बजाय उसे अव्यवस्थित तरीके से फैलाकर उपजाऊ भूमि को बंजर बनाया जा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बोर्ड टंगवा देना ही अगर पर्यावरण संरक्षण है, तो फिर अफसरों की तनख्वाह भी कागजी होनी चाहिए। मौके पर न पानी का छिडक़ाव है, न पौधे और न ही कोई सुरक्षा। आखिर किसके संरक्षण में यह अवैध साम्राज्य चल रहा है।

उच्च स्तरीय जांच और तत्काल तालाबंदी की मांग

ग्राम पंचायत रक्सा के जागरूक नागरिकों और ग्रामीणों ने अब आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है। क्षेत्रीय जनता ने कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय, खनिज विभाग और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के शीर्ष अधिकारियों से मांग की है कि सदगुरु क्रेशर और खदान का तत्काल प्रभाव से भौतिक निरीक्षण किया जाए। अवैध उत्खनन की गहराई, एनओसी की अनुपस्थिति और सुरक्षा शर्तों के उल्लंघन का पंचनामा तैयार किया जाए। पर्यावरण कानून और खनन अधिनियम के तहत दोषी संचालक एवं मौन सहमति देने वाले विभागीय अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कर खदान को अविलंब सील किया जाए। यदि प्रशासन ने जल्द ही इस खूनी खेल पर नकेल नहीं कसी, तो ग्रामीण उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और खनिज विभाग की होगी।

इनका कहना है...

पत्थरीले इलाके में फलदार पेड़ नहीं लग पाते हैं, हालाकि अगर किसी बिन्दू पर आपको जांच करानी है तो, आप बता दीजिए, हम उसे भी दिखवा लेंगे।

बी.एम.पटेल
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शहडोल

खबर संक्षेप

सांसद प्रतिनिधि ने उठाई जर्जर सड़क का मुद्दा, एसईसीएल को सौंपा ज्ञापन

राजनगर। राजनगर से झिरियाटोला राष्ट्रीय राजमार्ग-43 तक जाने वाले जर्जर सड़क मार्ग की बदहाल स्थिति को लेकर अब जनप्रतिनिधियों ने भी आवाज बुलंद कर दी है। नगर परिषद बनगवां (राजनगर) के सांसद प्रतिनिधि मनोज सिंह ने एसईसीएल हसदेव क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपकर सड़क की शीघ्र मरम्मत, चौड़ीकरण तथा दोनों ओर साइड शोल्डर निर्माण की मांग की है। उल्लेखनीय है कि 14 जुलाई 2026 को राष्ट्रीय दैनिक हरिभूमि ने इस सड़क की बदहाल स्थिति को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। समाचार प्रकाशित होने के बाद इस महत्वपूर्ण मार्ग की समस्या को लेकर पहल तेज हो गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि एसईसीएल द्वारा वर्षों पहले निर्मित राजनगर 5-6 इंकलाइन से झिरियाटोला तक का मार्ग लंबे समय से मरम्मत के अभाव में जर्जर हो चुका है। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे बन गए हैं और दोनों ओर के साइड शोल्डर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को हर दिन जोखिम उठाकर सफर करना पड़ रहा है। बरसात के मौसम में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है तथा दुर्घटनाओं की आशंका लगातार बनी रहती है। सांसद प्रतिनिधि मनोज सिंह ने कहा कि यह सड़क बनगवां (राजनगर) को राष्ट्रीय राजमार्ग-43 से जोड़ने वाला प्रमुख संपर्क मार्ग है। इसी रास्ते से छत्तीसगढ़ सहित आसपास के कई गांवों के लोग प्रतिदिन आवागमन करते हैं। ऐसे में सड़क की तत्काल मरम्मत, आवश्यकतानुसार चौड़ीकरण और मजबूत साइड शोल्डर का निर्माण जनहित एवं सड़क सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। ज्ञापन में एसईसीएल प्रबंधन से मांग की गई है कि आमजन की सुरक्षा और सुगम आवागमन को प्राथमिकता देते हुए जल्द से जल्द सड़क सुधार कार्य शुरू कराया जाए, ताकि संभावित दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। ज्ञापन की प्रतिलिपि शहडोल संसदीय क्षेत्र की सांसद तथा अनूपपुर कलेक्टर को भी आवश्यक कार्रवाई एवं जानकारी के लिए भेजी गई है। हरिभूमि द्वारा उठाए गए इस मुद्दे के बाद अब क्षेत्रवासियों को उम्मीद है कि वर्षों से उपेक्षित इस महत्वपूर्ण सड़क की जल्द मरम्मत कराई जाएगी।

लोकायुक्त कार्रवाई झेल रहे अधिकारी को दोहरा प्रभार, तबादले पर हाई कोर्ट से स्टे

कटनी स्थानांतरण आदेश पर अंतरिम राहत के बाद अनूपपुर में बने रहेंगे अधिकारी प्रशासनिक व्यवस्था पर उठे सवाल

जिले के जनजातीय कार्य विभाग में प्रशासनिक शुचिता और नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाने का एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। लोकायुक्त की कार्रवाई का सामना कर चुके अधिकारी पर मेहरबानी बरसाते हुए न केवल मलाईदार प्रभार सौंपा गया, बल्कि अब तबादला होने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट से स्टे हासिल कर लिया है। 17 जून को कटनी स्थानांतरण का आदेश जारी होने के बाद से ही विभाग में जबर्दस्त खलबली मच गई थी।

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर।

संबंधित अधिकारी कटनी में नई पदस्थापना पर कार्यभार संभालने के बजाय भोपाल के सियासी गलियारों से लेकर अदालत के चक्कर काट रहे थे। आखिरकार, उच्च न्यायालय से तबादला आदेश पर स्थगन ले लिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम ने जिले के प्रशासनिक तंत्र और शासन के भ्रष्टाचार विरोधी दावों पर तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं।

जिले में जनजातीय कार्य विभाग एक बार फिर अपने कारनामों और दागी अधिकारियों पर असीम अनुकंपा को लेकर सुर्खियों में है। लोकायुक्त पुलिस की गाज गिरने के बावजूद विभाग में पदस्थ मंडल संयोजक संतोष कुमार बाजपेई को न केवल अभयदान मिला, बल्कि नियमों को दरकिनार कर क्षेत्र संयोजक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंप दिया गया। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे अधिकारी को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने से ईमानदार अधिकारियों का मनोबल बुरी तरह टूटा है। हाल ही में 17 जून को हुए कटनी तबादले के बाद साहब का अनूपपुर प्रेम इस कदर जागा कि वे नई जगह जाने को तैयार ही नहीं हुए। तबादला आदेश निरस्त कराने या रोकने के लिए भोपाल में सियासी दिग्गजों के जरिए दबाव बनाने के साथ-साथ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई, जहाँ से उन्हें स्टे (स्थगन आदेश) मिल गया है। अब देखना यह है कि प्रशासन विधिक स्थिति के बीच कड़ा रुख अपनाते हुए स्टे निरस्त कराने की पहल करता है या राजनीतिक व विधिक दबाव के आगे घुटने टेक देता है।

सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों की खुलेआम उड़ाई गई धज्जियां

सामान्य प्रशासन विभाग के स्पष्ट दिशानिर्देश हैं कि लोकायुक्त, या गंभीर विभागीय जांच का सामना कर रहे किसी भी दागी अधिकारी को फील्ड की महत्वपूर्ण या प्रभार वाली पोस्टिंग नहीं दी जानी चाहिए। ऐसे अधिकारियों को लूप लाइन में भेजने का प्रावधान है ताकि वे जांच प्रक्रिया को प्रभावित न कर सकें। लेकिन अनूपपुर के जनजातीय कार्य विभाग में नियमों को ताक पर रखकर संतोष कुमार बाजपेई को जैतहरी में लोकायुक्त कार्रवाई के बाद भी लूप लाइन में भेजने के बजाय दो-दो महत्वपूर्ण प्रभार सौंप दिए गए। लोकायुक्त की कार्रवाई के बावजूद उन्हें मंडल संयोजक के साथ क्षेत्र संयोजक का भी मलाईदार प्रभार दे दिया गया। इस कारगुजारी से साफ जाहिर होता है कि विभागीय उच्च अधिकारियों का वरदहस्त दागी अफसरों पर किस कदर मेहरबान है। नियमों की इस अनदेखी ने विभागीय कार्यप्रणाली पर गहरा दाग लगा दिया है।

कटनी तबादला आदेश के बाद हाई कोर्ट से मिला स्टे, कुर्सी बचाने में कामयाब हुए साहब

राज्य शासन द्वारा 17 जून को जारी स्थानांतरण सूची में संतोष कुमार बाजपेई का तबादला अनूपपुर से कटनी जिले के लिए कर दिया गया था। तबादले का आदेश जारी होते ही विभाग के गलियारों में हड़कंप मच गया और साहब ने कटनी जाने के बजाय अनूपपुर की कुर्सी बचाने के लिए जोड़-तोड़ शुरू कर दी। सूत्रों के अनुसार, तबादले पर रोक लगवाने के लिए भोपाल स्थित मंत्रालय (वल्लभ भवन) तक दौड़ लगाने के साथ-साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया। हाई कोर्ट से स्थानांतरण आदेश पर स्टे मिल जाने के बाद साहब फिलहाल राहत की सांस ले रहे हैं और अनूपपुर में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। कार्यमुक्त होकर नए जिले में योगदान देने के बजाय स्टे की आड़ में जमे रहना प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है।

जीरो टॉलरेंस के सरकारी दावों और शुचिता पर उठे गंभीर सवाल

प्रदेश सरकार द्वारा भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का ढिंढोरा पीटा जाता है, लेकिन धरातल पर परिस्थितियां इसके बिल्कुल विपरीत नजर आती हैं। जब लोकायुक्त में रंगे हाथों पकड़े गए या जांच झेल रहे अधिकारियों को ही विभाग की कमान सौंपी जाएगी, तो प्रशासनिक पारदर्शिता पर सवाल उठना लाजमी है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या जनजातीय कार्य विभाग में ईमानदार, निष्ठावान और योग्य अधिकारियों का अकाल पड़ गया है? यदि लोकायुक्त का आरोपी अधिकारी भी प्रशासनिक और कानूनी दांव-पेंच के जरिए अपना तबादला रुकवाने में कामयाब हो जाता है, तो शासन के सुशासन के दावों की साख क्या रह जाएगी? दागी अधिकारियों को संरक्षण देने की यह परंपरा न केवल प्रशासनिक मर्यादाओं का हनन है, बल्कि जनता के बीच सरकार की छवि को भी धूमिल कर रही है।

जिला प्रशासन की चुप्पी और निष्पक्ष कार्रवाई की चुनौती

अब पूरे जिले और विभागीय अमले की नजरें अनूपपुर जिला प्रशासन तथा जनजातीय कार्य विभाग के उच्च अधिकारियों के रुख पर टिकी हुई हैं। क्या जिला प्रशासन और विभागीय तंत्र हाई कोर्ट में प्रभावी पैरवी कर इस स्टे को निरस्त कराने के लिए कदम उठाएगा? या फिर स्टे का बहाना बनाकर नियमों की बलि चढ़ा दी जाएगी? यदि बाजपेई इसी तरह अनूपपुर में जमे रहते हैं, तो इससे विभाग में गलत परिपाटी की शुरुआत होगी और भ्रष्टाचार के आरोपियों के हौसले बुलंद होंगे। स्थानीय जनता और निष्पक्ष कर्मचारियों की मांग है कि शासन कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखकर लोकायुक्त के आरोपी को तुरंत अनूपपुर से स्थानांतरित करे ताकि निष्पक्ष जांच का मार्ग प्रशस्त हो सके और प्रशासनिक व्यवस्था की साख पुन बहाल हो सके।

नगर पालिका की लापरवाही से किसानों की धान नर्सरी बर्बाद

खुद फावड़ा उठाकर नाली साफ करने को हुए मजबूर

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। नगर पालिका अनूपपुर की लापरवाही का खामियाजा वार्ड क्रमांक-1 के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। त्रिमूर्ति माड़िया रोड क्षेत्र में लंबे समय से नालियों की सफाई नहीं होने के कारण गंदा पानी और कचरा किसानों के खेतों में भर गया, जिससे धान की तैयार की गई नर्सरी को भारी नुकसान पहुंचा है। फसल को बचाने के लिए किसान आखिरकार खुद ही फावड़ा लेकर नालियों की सफाई करने को मजबूर हो गए। स्थानीय किसानों का आरोप है कि नालियों की नियमित सफाई नहीं होने से जल निकासी पूरी तरह बाधित हो गई है। बारिश के दौरान नालियों का गंदा पानी सीधे खेतों में पहुंच रहा है, जिससे धान की नर्सरी नष्ट हो रही है और किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि उन्होंने कई बार नगर पालिका अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों का कहना है कि वार्ड क्रमांक-1 नगर पालिका अध्यक्ष का वार्ड होने के बावजूद यहां की मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। नालियों की सफाई और जल निकासी जैसी बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी से लोगों में नगर पालिका के प्रति नाराजगी बढ़ रही है। किसानों ने जिला प्रशासन और नगर पालिका से मांग की है कि क्षेत्र की नालियों की तत्काल सफाई कराई जाए, जल निकासी की स्थायी व्यवस्था बनाई जाए तथा जिन किसानों की धान की नर्सरी खराब हुई है, उनका सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिया जाए। किसानों का कहना है कि यदि समय रहते व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो आगामी दिनों में और अधिक फसलों को नुकसान होने की आशंका है।

सड़क पर बिखरी निर्माण सामग्री से आवागमन ठप, हादसे का बढ़ा खतरा

चचाई रोड पर गिट्टी, रेत और मलबा फैलने से नागरिक परेशान

नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। जिला मुख्यालय के वार्ड क्रमांक-4 स्थित स्टेशन चौक के पास चचाई रोड पर निर्माणाधीन नाली के कार्य के दौरान सड़क पर गिट्टी, रेत और टूटा हुआ मलबा फैला दिए जाने से आवागमन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। सड़क के बीचों-बीच निर्माण सामग्री डंप होने के कारण राहगीरों, दोपहिया वाहन चालकों और स्थानीय दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नागरिकों का कहना है कि यह स्थिति कभी भी बड़े सड़क हादसे का कारण बन सकती है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार, निर्माण कार्य में उपयोग की जा रही सामग्री को व्यवस्थित रखने के बजाय सार्वजनिक मार्ग पर फैला दिया गया है। इससे सड़क संकरी हो गई है और वाहनों की

आवाजाही बाधित हो रही है। दुकानों के सामने मलबा पड़े रहने से व्यापार भी प्रभावित हो रहा है और कई बार विवाद की स्थिति भी बन रही है। रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के चलते अंडरब्रिज एवं चचाई की ओर जाने वाले वाहनों के लिए यही प्रमुख मार्ग बचा है। ऐसे में इस सड़क पर निर्माण सामग्री फैलाए जाने से लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ गई है। नागरिकों का कहना है कि यदि समय रहते सामग्री नहीं हटाई गई तो कोई भी गंभीर दुर्घटना हो सकती है। लोगों ने आरोप लगाया कि नगर पालिका में प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी होने के कारण व्यवस्थाएं लगातार बिगड़ रही हैं। शिकायत के लिए प्रभारी सीएमओ से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन उठाना भी उचित नहीं समझा। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष से भी संपर्क नहीं हो सका, जिससे लोगों में प्रशासन के प्रति नाराजगी बढ़ रही है। स्थानीय नागरिकों ने कलेक्टर से मांग की है कि सड़क पर फैली निर्माण सामग्री को तत्काल हटवाया जाए, ताकि यातायात सुचारु हो सके और दुर्घटनाओं की आशंका समाप्त हो। साथ ही उन्होंने सार्वजनिक मार्ग पर निर्माण सामग्री डालकर आवागमन बाधित करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने तथा दोषियों पर दंडात्मक कदम उठाने की मांग भी की है। इस पूरे मामले ने नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नागरिकों का कहना है कि यदि जिम्मेदार अधिकारियों ने समय रहते ध्यान नहीं दिया तो यह लापरवाही किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है।

छात्रों की गूंज अभियान के तहत अनूपपुर में छात्र संवाद

कांग्रेस ने पेपर लीक व भर्ती अनियमितताओं पर केंद्र सरकार को घेरा

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के राष्ट्रव्यापी ष्छात्रों की गूंजष अभियान के अंतर्गत बुधवार को अनूपपुर में छात्र संवाद कार्यक्रम एवं पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। धनश्री पैलेस में आयोजित छात्र संवाद कार्यक्रम में एआईसीसी की अभियान समन्वयक प्रतिभा रघुवंशी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्याम कुमार (गुड्डू) चौहान ने की, जबकि संचालन एवं संयोजन युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष मानवेंद्र मिश्रा ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत में जिला कांग्रेस अध्यक्ष गुड्डू चौहान ने अभियान के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देशभर के छात्रों और युवाओं की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार हो रहे पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं, बढ़ती बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था की कमियों ने युवाओं के भविष्य को असुरक्षित बना दिया है। इस दौरान एआईसीसी समन्वयक प्रतिभा रघुवंशी ने अभियान की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए छात्रों को इसके उद्देश्यों से अवगत कराया। कार्यक्रम में एलईडी स्क्रीन के माध्यम से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा कोटा और देहरादून में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रमों के वीडियो प्रदर्शित किए गए। साथ ही प्रेजेंटेशन के जरिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक, परीक्षा संबंधी अनियमितताओं तथा छात्रों के भविष्य पर पड़ रहे प्रभाव को प्रस्तुत किया गया। अंत में प्रतिभा रघुवंशी एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने छात्रों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं एवं सुझाव भी सुने। इसके बाद दोपहर 3 बजे जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने संसद मार्च का उल्लेख करते हुए कहा कि देशभर से पहुंचे छात्र-युवा अपनी मांगों को लेकर दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन उनके साथ संवाद करने के बजाय पुलिस कार्रवाई की गई।

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, कई छात्र घायल हुए तथा छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं भी सामने आईं। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि राहुल गांधी कांग्रेस सांसदों के साथ छात्रों की मांगों को प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च कर रहे थे, लेकिन उन्हें और अन्य विपक्षी सांसदों को हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों एवं शांतिपूर्ण विरोध की भावना के विपरीत बताते हुए इसकी निंदा की। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि छात्रों की प्रमुख मांग निष्पक्ष एवं पारदर्शी परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक मामलों की स्वतंत्र जांच, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई तथा समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। उनका आरोप था कि केंद्र सरकार ने इन मुद्दों पर संवाद के बजाय दमन का रास्ता अपनाया है। कांग्रेस ने दावा किया कि पिछले 12 वर्षों में देशभर में 152 से अधिक पेपर लीक की घटनाओं से 7.5 करोड़ से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए हैं। पत्रकार वार्ता में परीक्षा का उल्लेख करते हुए कथित पेपर लीक, पुनर्परीक्षा, ओएमआर शीट, स्कोरकार्ड एवं मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों की स्वतंत्र जांच तथा पूरी परीक्षा प्रणाली का ऑडिट कराने की मांग दोहराई गई। कांग्रेस नेताओं ने परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, भर्ती प्रक्रियाओं में समयबद्धता और सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को भंग करने, पेपर लीक मामलों की स्वतंत्र जांच, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, शिक्षा एवं परीक्षा व्यवस्था पर संसद में विशेष चर्चा तथा परीक्षाओं एवं भर्तियों के लिए बाध्यकारी वार्षिक कैलेंडर लागू करने की मांग दोहराई। पत्रकार वार्ता में बताया गया कि छात्रों की गूंज अभियान फिलहाल देश के 28 प्रमुख शहरों में संचालित किया जा रहा है और आगामी चरण में इसे 100 शहरों तक विस्तारित करने की योजना है। कांग्रेस का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य छात्रों और युवाओं की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी ढंग से उठाना तथा शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग को मजबूत करना है।

वायु दूत अंकुर अभियान के तहत संस्कार लॉ कॉलेज में पौधरोपण

पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। पर्यावरण संरक्षण और हरित भविष्य के निर्माण के उद्देश्य से संस्कार लॉ कॉलेज, अनूपपुर में श्वायु दूत अंकुर अभियानश के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाविद्यालय परिसर में छायादार, फलदार एवं औषधीय पौधों का रोपण कर विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया तथा पौधों की नियमित देखभाल का संकल्प लिया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य, प्राध्यापकगण, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान परिसर को अधिक हरित एवं पर्यावरण अनुकूल बनाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। महाविद्यालय के प्राचार्य ने अपने संबोधन में कहा कि वृक्ष मानव जीवन का आधार हैं। ये न केवल शुद्ध वायु और स्वच्छ वातावरण प्रदान करते हैं, बल्कि जलवायु संतुलन बनाए रखने, वर्षा चक्र को मजबूत करने और आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि पौधरोपण केवल एक दिन का अभियान न होकर जीवनभर की जिम्मेदारी बने और प्रत्येक लगाया गया पौधा एक वृक्ष के रूप में विकसित हो। प्राध्यापकों ने भी विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि यदि प्रत्येक नागरिक अपने जीवन में कम से कम एक पौधे का संरक्षण करने का संकल्प ले, तो धरती को हरा-भरा बनाने का लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। विद्यार्थियों ने भी पौधों की सुरक्षा, नियमित देखभाल और पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान सभी प्रतिभागियों ने अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने तथा स्वच्छ एवं हरित वातावरण के निर्माण में योगदान देने का संकल्प दोहराया। संस्कार लॉ कॉलेज द्वारा आयोजित यह पहल विद्यार्थियों में सामाजिक उत्तरदायित्व, पर्यावरणीय चेतना और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने की दिशा में एक प्रेरणादायी एवं सराहनीय प्रयास साबित हुई।